



2026:AHC:42607-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 2026 की 2538

आकांक्षा कुशवाहा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: देवेश कुमार वर्मा, सर्वेश कुमार पांडेय

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 4 से 6 के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:—
 - (i) एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को इस मामले में निष्पक्ष, तटस्थ एवं समयबद्ध विवेचना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए, जो अधिमानतः किसी वरिष्ठ अधिकारी के पर्यवेक्षण में हो, तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22.12.2025, जो अपराध संख्या 0845 वर्ष 2025, धारा 318(4), 61(2), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत थाना- चकरी, जनपद- कानपुर नगर (अर्थात रिट याचिका का संलग्नक संख्या 1) में पंजीकृत है, के अनुसरण में विवेचना की प्रगति रिपोर्ट इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए।
 - (ii) एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22.12.2025, जो अपराध संख्या 0845 वर्ष 2025, धारा 318(4), 61(2), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत थाना- चकरी, जनपद- कानपुर नगर (अर्थात रिट याचिका का संलग्नक संख्या 1) में पंजीकृत है, के अनुसरण में अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया जाए।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थागण/पुलिस प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता के लापता पिता-अजीत कुशवाहा की तलाश/बरामदगी के लिए तत्काल कदम उठाने तथा इस माननीय न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए।

(iv) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसे यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और ठीक समझे।

(v) याचिकाकर्ता को याचिका का वाद व्यय प्रदान किया जाए।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता प्रथम सूचनाकर्ता है और उसने दिनांक 22.12.2025 को विवादित एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी, तथापि, पुलिस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विवेचना नहीं कर रही है।

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2—पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट कानपुर नगर के समक्ष अपनी शिकायत को रेखांकित करते हुए और निष्पक्ष एवं पारदर्शी विवेचना की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा आवेदन दिया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 2—पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट कानपुर नगर, वर्तमान मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित विवेचना सुनिश्चित करेंगे।

5. उपरोक्त आदेश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

25 फरवरी, 2026

नदीम